



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14012022-232645
CG-DL-E-14012022-232645

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 188]
No. 188]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 14, 2022/पौष 24, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 14, 2022/PAUSHA 24, 1943

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 2022

का.आ. 192(अ).—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 142/2021, फा.स. 300196/4/2021-आईटीए-1 दिनांक 31.12.2021, जिसे का.आ 1(अ) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किया गया था, में—

(i) पैराग्राफ 3 में:— 'निर्धारण' के स्थान पर 'वित्तीय' पढ़ा जाए।

[अधिसूचना सं. 4/2022 फा.सं. 300196/4/2021-आईटीए-1]

सौरभ जैन, अवर सचिव

व्याख्यात्मक ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को पूर्वव्यापी प्रभाव देकर किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।